

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	22 सितंबर 2022
Edition	Lullunon
Page No.	01

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की जमीन खरीद में लगाया चूना

लखनऊ। यूपीडा ने कन्नौज में जमीन खरीदने में स्वीकृत दरों से ज्यादा पर 3.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह जमीन लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ली गई थी। इसका खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। इसी तरह से गौतमबुद्धनगर में एक बिजली सब स्टेशन के निर्माण के लिए रिकॉर्ड में जितनी जमीन है, उससे ज्यादा 2.71 करोड़ का भुगतान किया गया। कैग की रिपोर्ट बुधवार को विधान परिषद के पटल पर रखी गई। ब्यूरो

कैग की रिपोर्ट में हुए खुलासे

मोपेड से गड़ढे खोदने के भुगतान वाउचरों की जांच हो कैग ने वन विभाग में जेसीबी की जगह मोपेड से गड़ढे खोदवाने के मामले में भुगतान के सभी बिल वाउचरों की जांच की सरकार से सिफारिश की है। कहा कि 1.37 करोड़ के इस घपले में दोषी अफसरों के खिलाफ समय से व उचित कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 से 2018-19 के बीच 20 वन प्रभागों में पौधरोपण के लिए गड़ढे खोदने, मिट्टी के काम, परिवहन व संरक्षण कार्यों के लिए ट्रैक्टर व जेसीबी का इस्तेमाल दिखाया गया, लेकिन जिन वाहनों के नंबर दर्ज किए गए वे मोटरसाइकिल, जीप, स्कूटर व मोपेड के निकले। रिपोर्ट में कहा गया कि यह काम हकीकत में कराए ही नहीं गए। 1,058 वाउचरों से घपला किया गया।

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	22 सितंबर 2022
Edition	Ludhiana
Page No.	02

फास्टैग न लगाने से रोडवेज को 14.18 करोड़ रुपये का नुकसान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। विधानमंडल में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक समय से फास्टैग न लगाने से रोडवेज को 14.18 करोड़ रुपये की हानि हुई। कैग ने सिफारिश की है कि उप राज्य सड़क परिवहन निगम इसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

कैग रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) को बढ़ावा देने के लिए एनएचएआई ने फास्टैग के जरिए भुगतान करने वाले को कैशबैक के रूप में छूट देने का फैसला किया था। वर्ष 2016-2017 के लिए 10 प्रतिशत, वर्ष 2017-2018 के लिए 7.5 प्रतिशत, वर्ष 2018-2019 के लिए 5 और वर्ष 2019-2020 के लिए 2.5 प्रतिशत कैशबैक देने की व्यवस्था की गई। लेखा परीक्षा ने पाया कि रोडवेज 21 जून 2017 से मार्च 2020 के दौरान 624.33 करोड़ के कुल टोल टैक्स में से मात्र 283.85 करोड़ रुपये का भुगतान फास्टैग माध्यम से कर पाया। इस पर केवल 13.41 करोड़ रुपये का कैश बैक प्राप्त हुआ। अगर पूरे टोल

परिवहन निगम ने निजी फर्म को किया 69.84 करोड़ का अधिक भुगतान

विधानमंडल में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उप राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए निजी फर्म मैसर्स ट्राइमैक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. मुंबई को 69.84 करोड़ का गैर अनुमन्य और अधिक भुगतान किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएसआरटीसी ने पांच साल के लिए इंटीलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की स्थापना व संचालन के लिए इस फर्म के साथ अनुबंध किया। इसका उद्देश्य एकिकृत टिकट प्रणाली, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली और यात्रियों को सूचना प्रणाली प्रदान करना था।

टैक्स का भुगतान फास्टैग के माध्यम से किया जाता तो निगम को और 14.18 करोड़ रुपये कैशबैक में मिलता।

कैग रिपोर्ट

बीआईएस में अनिवार्य पंजीकरण शर्त की भी अनदेखी की, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश

बिजली कंपनियों ने नियम ताक पर रखकर खरीदे ट्रांसफार्मर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बिजली कंपनियों ने ट्रांसफार्मरों की खरीद में जमकर मनमानी की। नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफार्मर खरीदे गए। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में पंजीकरण की अनिवार्यता की शर्त की अनदेखी करते हुए ऐसी फर्मों के साथ ट्रांसफार्मर खरीदने की अनुबंध किया गया, जिन्होंने सिर्फ इसके लिए आवेदन भर कर रखा था। इसका खुलासा विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है।

कैग ने मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली और मरम्मत का आकलन किया। इस दौरान बिजली कंपनियों ने 2,489.71 करोड़ रुपये के 3,01,336 वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए 146 निविदाओं

दक्षिणांचल विद्युत निगम ने टॉरेंट पावर को पहुंचाया अनुचित लाभ

कैग रिपोर्ट में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा आगरा में बिजली आपूर्ति संभाल रही निजी कंपनी टॉरेंट पावर लि. को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि दक्षिणांचल निगम ने टॉरेंट पावर से रेगुलेटरी सरचार्ज 79.90 करोड़ की कम वसूली की। कम वसूली गई राशि पर 29.97 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान भी वहन किया। दक्षिणांचल में वितरण ट्रांसफार्मरों के विस्तारित आपूर्ति अवधि के लिए सही मूल्य अंतर का निर्धारण करने में विफलता के कारण आपूर्तिकर्ताओं को 2.03 करोड़ रुपये का ज्यादा भुगतान कर दिया गया। कैग ने आवश्यकता से अधिक शीट मोल्डिंग कंपाउंडिंग (एसएमसी) बाक्सों की खरीद पर भी दक्षिणांचल वितरण निगम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि 7.86 करोड़ रुपये की औचित्यहीन खरीद की गई। साथ ही 2.12 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

मध्यांचल में सामानों की औचित्यहीन खरीद

कैग रिपोर्ट के अनुसार मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने 7.25 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बाक्सों की औचित्यहीन खरीद की, जो चार वर्षों से अधिक समय के लिए अनुपयोगी रहा। कैग ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कर योग्य लाभ के गलत अनुमान के कारण 6.41 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान की हानि पर भी सवाल खड़े किए हैं।

तथा मरम्मत के लिए 290.23 करोड़ रुपये की निविदाओं को अंतिम रूप दिया। कैग ने इनमें से 1,67,379 ट्रांसफार्मरों की खरीद की 33% निविदाओं और 147.73 करोड़ रुपये के मरम्मत की 45% निविदाओं की समीक्षा की।

रिपोर्ट के मुताबिक निविदाओं की समीक्षा में तमाम अनियमितताएं सामने आईं। जिनमें पूर्व अर्हता शर्तों को पूरा न करने और टाइप टेस्ट रिपोर्ट न कराने वाली फर्मों से अनुबंध करना प्रमुख है। खासतौर पर बीआईएस प्रमाणपत्र न होते हुए भी

फर्मों के साथ ट्रांसफार्मर आपूर्ति का अनुबंध किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। अफसरों ने चहेती अपात्र फर्मों को भी करोड़ों रुपये के ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति का ठेका दे दिया। कुछ मामलों में तो यह भी सामने आया कि टेंडर पहले खोल दिए गए और बीआईएस प्रमाणपत्र बाद में दिया गया। यही नहीं प्राइस फॉल बैक क्लॉज लागू करने में विफलता के कारण बिजली कंपनियों को 1.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 802.92 करोड़ रुपये के 1,26,205 ट्रांसफार्मरों का आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में यह भी सामने आया कि गुणवत्ता परीक्षण में नमूना विफल होने के बावजूद ट्रांसफार्मर खरीद में मेरठ की एक फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कैग ने ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में भी तमाम अनियमितताओं का खुलासा किया है। मसलन क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की संख्या मानक से काफी ज्यादा थी और जले हुए ट्रांसफार्मर ऑयल और एल्युमिनियम व कॉपर की वापसी भी निर्धारित मानकों से कम हुई।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	22-09-2022
Edition	Lucknow
Page No.	03

कैंसर संस्थान के निर्माण में घपला, 64.60 करोड़ का लगाया चुना

राज्य ब्यूरो, लेखनऊ : कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण व उपकरण खरीद में घपला किया गया। 64.60 करोड़ रुपये का चुना सरकार को लगाया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में यह भ्रष्टाचार सामने आया है। बाजार भाव से 335 प्रतिशत तक महंगा सामान खरीदा गया। वर्ष 2015 से लेकर मार्च 2020 तक के आडिट में उग्र राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) द्वारा निर्माण एजेंसी चुनने के साथ-साथ निर्माण एजेंसी द्वारा गलत ढंग से प्रबंधन सलाहकार (कंसल्टेंट) व आर्किटेक्ट को अनियमित ढंग से

सीएजी की रिपोर्ट: भ्रष्टाचार, निर्माण व खरीद में गड़बड़ी, 335% तक महंगा खरीदा सामान, कंसल्टेंट को भुगतान में मनमानी

भुगतान करने के साथ-साथ अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा करने की बजाए हजम कर लिया गया।

सपा सरकार के शासनकाल में फरवरी 2015 में राजधानी के चक गंजरिया में इस कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए 854.51 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई। यूपीआरएनएन ने अगस्त 2015 में ई निविदा के माध्यम से 796.76 करोड़ पर शापूरजी पॉलनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण

एजेंसी के रूप में चुना। कार्य 23 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ और इसे 22 अक्टूबर 2017 में पूरा किया जाना था। समय पर काम पूरा न होने से मई 2020 में निर्माण लागत बढ़ाकर 805.28 करोड़ कर दी गई। सीएजी द्वारा किए गए आडिट तक 698.24 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। जो ब्रेड हेड पैन्ल बाजार में 40 हजार रुपये में उपलब्ध था उसे दो-दो लाख रुपये में खरीदा गया। यानी वास्तविक दाम से 395 प्रतिशत ज्यादा धन खर्च किया गया। इसमें 8.47 करोड़ रुपये अधिक व्यय किया गया। लाइट का जो कार्य 37 करोड़ रुपये में किया गया वह 19 करोड़ में आराम से हो सकता था।

वाटरप्रूफिंग का जो कार्य 1300 रुपये प्रति वर्ग मीटर में हो सकता था, उसे 2800 रुपये प्रति वर्ग मीटर में कराया गया। सौर पीवी प्रणाली प्रति सेट 1.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए जो कि 40.16 लाख रुपये प्रति सेट था। मार्चरी कक्ष में प्रत्येक चेंबर का निर्माण 16.56 लाख रुपये खर्च किए जो कि 7.04 लाख रुपये में आसानी से बन सकता था। वहीं निर्माण एजेंसी ने सलाहकार को 3.25 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया और आर्किटेक्ट को भी 1.49 करोड़ अधिक भुगतान कर दिया गया। बिजली की व्यवस्था पर 2.30 करोड़ रुपये फिजूल खर्च किए गए। यही नहीं यूपीआरएनएन ने वर्ष

52 हजार की टीवी 1.20 लाख में खरीदी गई

कैंसर संस्थान में निर्माण व उपकरण इत्यादि में तो खेल किया ही गया बल्कि टीवी सेट खरीदने में भी अनाप-शनाप धन खर्च किया गया। जो टीवी सेट बाजार में 52 हजार में मिल रहा था उसे मनमाने ढंग से 1.20 लाख रुपये में खरीदा गया।

2015 से वर्ष 2021 तक सरकारी निधियों पर 36.68 करोड़ रुपये का ब्याज हासिल किया लेकिन उसे कोषागार में नहीं जमा कराया। वहीं मोबिलाइजेशन अग्रिम पर भी 13.69 करोड़ ब्याज सरकारी खाते में नहीं जमा कराया। यानी कैंसर संस्थान के निर्माण में खूब मनमानी हुई।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	03

परिवहन निगम को लगाई 84 करोड़ रुपये की चपत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों की लापरवाही से 84.02 करोड़ रुपये की चपत लगी है। निगम के दो मामलों में ही यह गड़बड़ी पकड़ में आई है।

यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा व विधान परिषद दोनों ही जगह रखी गई। इसमें निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।

परिवहन निगम ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर एक निजी फर्म 'ट्राइमैक्स' को 69.84 करोड़ रुपये अधिक भुगतान कर दिया। इसके अलावा दूसरे मामले में फास्टेग के जरिए टोल टैक्स का भुगतान न करके बैंक से मिलने वाले कैशबैक में 14.18 करोड़ रुपये नुकसान उठाया है। कैग ने जो आपत्ति की है उसके अनुसार निगम ने फरवरी 2013 में पांच वर्षों की अवधि के लिए निजी फर्म ट्राइमैक्स आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के साथ एक अनुबंध किया था। यह अनुबंध इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) की आपूर्ति, स्थापना एवं संचालन के लिए किया गया था। इसके तहत एकीकृत टिकट प्रणाली, वाहन

- निजी फर्म को कर दिया 69.84 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान
- फास्टेग से टोल टैक्स जमान करने से 14.18 करोड़ का नुकसान

ट्रैकिंग प्रणाली और यात्रियों को सूचना प्रणाली प्रदान किया जाना था। परिवहन निगम द्वारा ट्राइमैक्स को किए गए भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान कैग को कई कमियां देखने को मिली हैं। आइटीएमएस विभिन्न क्षेत्रों में अप्रैल 2014 से नवंबर 2015 के बीच 'गो-लाइव' हो पाया था। इसके बावजूद परिवहन निगम ने ट्राइमैक्स को 'गो-लाइव' की अवधि से पूर्व का भी भुगतान कर दिया। कैग ने यह भी पाया कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने फरवरी 2019 में ट्राइमैक्स के विरुद्ध कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की तो परिवहन निगम ने भुगतान करना बंद कर दिया लेकिन ट्राइमैक्स ने नवंबर 2020 तक काम जारी रखा। इस तरह मार्च 2019 से नवंबर 2020 तक की अवधि का बकाया बिल 43.89 करोड़ रुपये था, जबकि नवंबर 2020 तक ट्राइमैक्स से कुल वसूली योग्य धनराशि 69.84 करोड़ रुपये थी।

14.18 करोड़ रुपये का कैशबैक नहीं मिल पाया

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम समय से लागू न कर पाने के कारण परिवहन निगम को टोल टैक्स के भुगतान पर 14.18 करोड़ रुपये का कैशबैक नहीं मिल पाया। परिवहन निगम ने जुलाई 2017 से मार्च 2020 के दौरान कुल 624.33 करोड़ रुपये टोल टैक्स का भुगतान किया। इसमें से मात्र 283.85 करोड़ रुपये का भुगतान ही फास्टेग के जरिए किया गया। ऐसे में 340.48 करोड़ रुपये के टोल टैक्स का भुगतान बगैर फास्टेग के किया गया। इससे 14.18 करोड़ रुपये का कैशबैक नहीं मिल सका।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	03

टोरेट को पहुंचाए गए 79.90 करोड़ रुपये के अनुचित लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: आगरा शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कर रही फ्रेंचाइजी मैसर्स टोरेट पावर लिमिटेड पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों ने खूब मेहरबानी दिखाई है। जून, 2013 से सितंबर, 2019 के बीच डिस्काम में तैनात रहे जिम्मेदार अधिकारी सरकारी खजाने में सेंध लगाकर टोरेट को अनुचित लाभ पहुंचाते रहे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह पोल खुली है कि दक्षिणांचल ने इस अवधि में फ्रेंचाइजी से 79.90 करोड़ रेगुलेटरी सरचार्ज ही नहीं वसूला।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं से बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किए जाने वाले रेगुलेटरी सरचार्ज को निर्धारित किया। आरएससी भाग-1 और भाग-2 के रूप में 10 जून, 2013 से 11 सितंबर, 2019 तक लागू था। आरएससी का उद्देश्य 2000-01 से 2007-08 और 2008-09 से 2011-12 में विद्युत वितरण कंपनियों के राजस्व के अंतर को पूर्ण करना था। जून, 2020 में परीक्षण के दौरान लेखा परीक्षा ने देखा कि नियामक आयोग

दक्षिणांचल अफसरों की करतूत

द्वारा आरएससी को लागू करने का जो उद्देश्य था, उसके अनुसार व्यवस्था में संशोधन नहीं किया गया। आयोग के निर्देशों के बावजूद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने टोरेट से रेगुलेटरी सरचार्ज की वसूली के लिए दो विरोधाभासी प्रणालियों को अपनाया। लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख है कि दक्षिणांचल ने टोरेट पावर लिमिटेड से 79.90 करोड़ रुपये की कम वसूली की थी। अधिकारियों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के हितों को न देखते हुए फ्रेंचाइजी को इतनी धनराशि का अनुचित लाभ दिया। इतनी रकम की वसूली कम होने से सरकार को 29.97 करोड़ रुपये के राजस्व का भी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस वक्त टोरेट कंपनी नकदी के संकट से जूझ रही थी और लोन लेकर जरूरतें पूरी कर रही थी। तब अधिकारियों ने फ्रेंचाइजी को यह लाभ पहुंचाया। सीएजी ने इसे गंभीर चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की अनुशंसा की है।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	03

www.jagran.com

ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के नाम पर फूँके करोड़ों

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सीएजी की रिपोर्ट में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कारनामा सामने आया है। ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के नाम पर 7.25 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बाक्स अनुपयोगी साबित हुए। यह खरीद वर्ष 2016 में सपा शासनकाल में हुई थी। सीएजी की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि बिना किसी जरूरत के जानबूझकर यह रकम खर्च की गई। कमीशन के खेल में खरीदे गए यह बाक्स अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। चार वर्ष बाद इन्हें अब लगवाया जा रहा है। 2016 में 875 ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बाक्स कुल 7.70 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए। अब चार वर्ष बाद

- सीएजी रिपोर्ट में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का कारनामा उजागर
- वर्ष 2016 में खरीदे गए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बाक्स अनुपयोगी साबित

अगस्त वर्ष 2020 से नवंबर 2020 तक 81 ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बाक्स को स्थापित कराया गया। यानी सिर्फ नौ प्रतिशत बाक्स ही उपयोग में आ सके हैं। बाकी 794 बाक्स यानी 91 प्रतिशत बाक्स को अब लेसा स्टोर से जारी कराकर लगाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बिना किसी जरूरत के सरकारी धन की बर्बादी की गई।

कागजों पर थी जमीन, 2.71 करोड़ का भुगतान: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के

स्कूटर-मोपेड से पौधारोपण के लिए गड़दे की खुदाई हुई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पौधारोपण के लिए गड़दे व खाई की खुदाई का काम स्कूटर, मोपेड व मोटरसाइकिल जैसे वाहनों से करा डाला। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कैग ने पौधारोपण से जुड़े कार्यों के लिए टेकदारों व अन्य व्यक्तियों को 1.37 करोड़ रुपये के भुगतान में घपला पकड़ा है और इसे गबन माना है।

अधिकारियों ने कागजों में अतिरिक्त जमीन दिखाकर 2.71 करोड़ रुपये का ज्यादा भुगतान कर दिया।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	03

दैनिक जागरण लखनऊ, 22 सितंबर, 2022

राजधानी

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में हुआ था घोटाला

सीएजी की रिपोर्ट

सपा शासनकाल में कन्नौज की जमीन के लिए लगाया 3.65 करोड़ रुपये का चूना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण में सरकारी खजाने को चूना लगाया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में सपा शासनकाल का यह मामला सामने आया है। कन्नौज में जमीन अधिग्रहण कर तत्कालीन अधिकारियों ने स्वीकृत दर से अधिक दरों पर कुल 3.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 2020 तक की रिपोर्ट बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई। इसमें उल्लेख किया गया है कि यूपीडा ने 17 जून, 2014 को

विद्युत उत्पादन निगम को लगा 6.41 करोड़ रुपये का नुकसान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 6.41 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह नुकसान अग्रिम कर जमा करने में हुई चूक के कारण ब्याज के रूप में देना पड़ा है। वैसे तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को करनी थी, लेकिन उसने यह धनराशि नहीं दी। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) ने इसे पकड़ा है। दरअसल, आयकर अधिनियम 1961 में अपनी वर्तमान आय पर अग्रिम कर के भुगतान का प्रावधान है। इसमें यह भी नियम है कि यदि कोई अग्रिम कर के भुगतान में चूक करता है तो उसे एक प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से साधारण ब्याज देना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत उत्पादन निगम ने पहले तीन तिमाहियों में हानि व चौथी तिमाही में 80.16 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान लगाया था।

हुई 22वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के लिए निर्माण के लिए जो भूमि अर्जित की जाएगी, उस संबंध में जिला स्तरीय समिति की दरों पर अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे।

कन्नौज की जिला स्तरीय समिति ने एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए कन्नौज के 50 गांवों की भूमि दर को अंतिम रूप दिया। सात जुलाई, 2014 को सीईओ ने उन दरों का अनुमोदन भी कर दिया।

अभिलेखों की जांच के दौरान अगस्त, 2019 में लेखा-परीक्षा ने पाया कि यूपीडा ने जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के दौरान सात गांवों की जमीन खरीदी। इसके लिए पूर्व में अनुमोदित दरों से अधिक दर पर 88 बैनामे इस आधार पर कर दिए गए कि ये भूमि सड़क के पास थी। पांच जनवरी, 2021 को डीएम कन्नौज द्वारा यूपीडा के सीईओ को लिखे गए पत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि इन बैनामों में चौहद्दी में सड़क के अस्तित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए स्वीकृत दर से अधिक सर्किल रेट पर बैनामे किए गए। हालांकि, पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए यूपीडा का अनुमोदन लिया जाना था, जो नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप

यूपीडा ने भूस्वामियों को 3.65 करोड़ रुपये अतिरिक्त भूमि मूल्य का भुगतान कर दिया।

लेखा-परीक्षा ने बैनामों की समीक्षा में पाया कि 88 में से 40 बैनामों में किसी सड़क का उल्लेख नहीं था और अर्जित भूमि भी केवल कृषि भूमि से घिरी हुई थी। शेष 48 बैनामों में सड़क का उल्लेख था, लेकिन ये भी कृषि भूमि से घिरे हुए थे। इन 48 प्रकरणों में से किसी में भी एक्सप्रेसवे में भूमि अर्जन के लिए अक्टूबर, 2013 में तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों में कोई पक्की सड़क नहीं दिखाई दी। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने सरकार से मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की अपेक्षा की है।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	22.09.2022
Edition	
Page No.	07

सेतु निगम को 42 करोड़ की हानि

राष्ट्र, लखनऊ: निविदा मूल्य में जीएसटी को शामिल किये बिना ही टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के कारण उप्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड को 41.99 करोड़ रुपये की हानि हुई है। विधानमंडल सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश की गई भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वित्तीय वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उप्र राज्य सेतु निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और 72 के हरिद्वार-देहरादून खंड में चार लेन के बचे हुए कार्य के

सीएजी की रिपोर्ट

लिए 349.9 करोड़ रुपये के निविदा मूल्य में जीएसटी को शामिल किये बिना ही टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया।

महाप्रबंधक (जीएम-वाणिज्यिक) ने टेंडर कमेटी को इस तथ्य से अवगत कराए बिना कि इस लागत में जीएसटी शामिल नहीं थी, 349.9 करोड़ रुपये की लागत की संस्तुति की। इस लागत को जीएम वाणिज्यिक व एमडी की सदस्यता वाली टेंडर कमेटी ने 25 अगस्त 2018 को अनुमोदित किया था।

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	02

सीएजी रिपोर्ट निर्माण में देरी और बाजार दरों से अधिक पर सामान खरीद पर उठाए सवाल, समय पर अस्पताल न बनने से रोगियों को भी नुकसान

कैंसर संस्थान के निर्माण में पकड़ी करोड़ों की गड़बड़ी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। लखनऊ के चक गंजरिया में बनाए गए उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान मेडिसिटी के निर्माण में कई गड़बड़ियों पर सीएजी ने सवाल उठाए हैं।

बुधवार को विधानसभा में पेश की गई भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस संस्थान के निर्माण में हुई देरी के चलते लागत बढ़ने की बात कही गई है। कैंसर संस्थान की निर्माणदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम पर कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं बरती गईं। सामान की खरीद बाजार की दरों से महंगे रेटों पर की गई। वहीं समय पर अस्पताल के न बनने से कैंसर रोगियों और शोधार्थियों को नुकसान होने की बात भी सीएजी रिपोर्ट में कही गई है।

घटिया ट्रांसफार्मर खरीद से चपत

सीएजी ने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि प्रदेश की जनता फाल्ट की वजह से बाधारहित बिजली पाने से वंचित हो रही है तो इसमें सारा दोष विद्युत वितरण कंपनियों की है। कंपनियों ने तय मानकों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में विद्युत उपकरणों खासकर ट्रांसफार्मर की खरीदी। मानकों का उल्लंघन कर अयोग्य कंपनियों से निम्न गुणवत्ता के ट्रांसफार्मरों की खरीद से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सिलसिलेवार कमियां गिनाई गई हैं।

परिवहन निगम को 84 करोड़ की क्षति

कैग की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए पेश रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम को दो मामलों में ही 84 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। निगम ने अनुबंध की शर्तों से इतर एक निजी फर्म 'ट्राइमैक्स' को 69.84 करोड़ रुपये अधिक भुगतान कर दिया तो टोल टैक्स के भुगतान पर कैशबैक न लेकर 14.18 करोड़ नुकसान उठाया।

सेतु निगम को चपत: कैग रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार-देहरादून खंड में 4 लेन सड़क निर्माण से जुड़े एक टेंडर में लापरवाही के कारण राज्य

वृक्षारोपण के नाम पर 1.37 करोड़ का गबन

प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए ठेकेदारों व अन्य व्यक्तियों को किए 1.37 करोड़ रुपये के भुगतान में फर्जीवाड़ा हुआ। कैग रिपोर्ट के अनुसार यह एक तरह का गबन है। इस ऑडिट जांच में गलत ट्रैक्टरों/जैसेबी नम्बरों वाले 1058 वाउचरों के परीक्षण से पता चला कि जिन ट्रैक्टरों व जैसेबी नम्बर वाले वाउचरों के जरिये किया गया भुगतान दरअसल कभी हुआ ही नहीं था।

सेतु निगम लिमिटेड को करीब 42 करोड़ रुपये की चपत लगी। ज्यादा खर्च: सीएजी ने अपनी जांच में पाया है कि यमुना एक्सप्रेसवे

जमीन के लिए 3.65 करोड़ ज्यादा भुगतान

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के निर्माण के लिए कन्नौज में जमीन खरीदने में तय दरों से भुगतान किया गया। यूपीडा ने भूस्वामियों को इस कारण 3.65 करोड़ ज्यादा भुगतान किया। सीएजी ने कहा कि यूपीडा ने कन्नौज के सात गांवों की जमीन क्रय की और सरकारी आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में समिति द्वारा अनुशंसित दरों की तुलना में अधिक दरों पर 88 बैनामे इस आधार पर कराए गए क्योंकि जमीन सड़क के नजदीक थी।

वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिजली सब स्टेशन के लिए निर्माण के लिए जमीन खरीदने में 2.71 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर दिए।

Name of the Newspaper	नवभारत टाइम्स
Date	22 सितंबर 2022
Edition	Lucknow
Page No.	02

सदन में रखी गई कैग रिपोर्ट में खुलासा

घटिया ट्रांसफॉर्मर खरीदे, करोड़ों की चपत

4,92,246 ट्रांसफॉर्मर
फुंके तीन साल में

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** भारी भरकम घाटे से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन को उसके ही इंजिनियरों ने घटिया ट्रांसफॉर्मर खरीदकर चूना लगाया। इसका खुलासा बुधवार को सदन में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। 2016-17 से 2018-19 के बीच ऐसी कंपनियों से ट्रांसफॉर्मर की खरीद की गई, जो मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक गलत तरीके से कंपनियों को 44.65 करोड़ रुपये का ट्रांसफॉर्मर खरीद का ऑर्डर दिया गया। इसी का नतीजा था कि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019 तक प्रदेश में कुल 4,92,246 ट्रांसफॉर्मर फुंके। मानकों के मुताबिक इतने ट्रांसफॉर्मरों से 35,85,467 किलो कॉपर और 1.58 करोड़ किलो एल्युमिनियम की निकलना चाहिए था। लेकिन ट्रांसफॉर्मरों से 72,230 किलो कॉपर और 6.19 लाख किलो कम एल्युमिनियम निकला। जिससे कॉर्पोरेशन को 8.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पौधरोपण के लिए बाइक-
स्कूटरों से खोदवाए गड्ढे

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पौधरोपण के कामों के लिए ₹1.37 करोड़ का फर्जी पेमेंट किया। इस काम के लिए गड्ढे खोदवाई, नालियों की खोदवाई, मिट्टी ढुलाई और पौधों की सिंचाई के लिए जिन ट्रैक्टरों और जेसीबी का इस्तेमाल बताया गया, वे मोटरसाइकल, मोपेड, स्कूटर और जीप के नंबर निकले। यह फर्जीवाड़ा 2016-17 और 2017-18 में किया गया। विधानमंडल में बुधवार को पेश की गई सीएजी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। काम का ऑडिट सीएजी ने दिसम्बर 2020 और मार्च 2021 में किया गया। सीएजी ने 20 वन परिक्षेत्रों का ऑडिट किया। इसमें पौधरोपण के लिए किए गए विभिन्न कामों के लिए कुल 1,058 पेमेंट वाउचर के जरिए ₹1.37 करोड़ का भुगतान किया गया। ये रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सौंपी गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने ऑडिट में पाई गई गड़बड़ियों को स्वीकार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उसके बाद उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच के आदेश दिए। सरकार के जवाब के अनुसार 14 अफसरों को सस्पेंड किया और 137 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

चहेती कंपनी को दिया बिना
टेंडर सोशल मीडिया का काम

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** सीएजी ने ऑडिट में पाया है कि नवंबर 2018 में राजकीय निर्माण निगम की मेंटेनेंस यूनिट के तत्कालीन इंचार्ज ने अपनी चहेती कंपनी को सोशल मीडिया का काम देने के लिए कोई टेंडर नहीं किया। यही नहीं कंपनी को काम देते हुए उन्होंने बोर्ड बैठक में कहा कि काम प्राथमिकता पर शुरू करना है, लिहाजा इस एजेंसी को काम दिया जा रहा है और ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि ऑडिट में उनका यह दावा गलत पाया गया। इसके अलावा ऑडिट एजेंसी ने पाया कि हर दो महीने पर नया वर्क ऑर्डर कंपनी के नाम जारी कर दिया जाता था। ऑडिट होने तक 28 महीने में यूपीआरएनएन ने ई-टेंडर करवाने की आवश्यकता नहीं महसूस की। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि तत्कालीन एमडी की अनुमति के बाद मेसर्स पार्थ इंटरप्राइजेज को नवंबर 2018 में वर्क ऑर्डर जारी किए गए। अन्य प्रकरण में ऑडिट ने पाया है कि एनएचएआई के एक प्रोजेक्ट में सेतु निगम ने बिना जीएसटी के ही टेंडर कर दिया, जोकि नियमों के विपरीत था। इससे ब्रिज कॉर्पोरेशन को 31.07 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

Name of the Newspaper	नवभारत टाइम्स
Date	22 सितंबर 2022
Edition	Lucknow
Page No.	03

सीएजी रिपोर्ट कैंसर इंस्टिट्यूट के निर्माण में अनियमितता, राजकीय निर्माण निगम की लापरवाही से लागत बढ़ी

₹52 हजार वाला टीवी ₹1.20 लाख में खरीदा

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ: विधान सभा में बुधवार को रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में चक्रगंजरिया स्थित कैंसर इंस्टिट्यूट के निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार दर से सामान खरीदने और गैरजरूरी खर्च की वजह से परियोजना की लागत में 64.60 करोड़ रुपये बढ़ गई। आलम यह था कि 52,096 रुपये वाला टीवी सेट 1 लाख 20 हजार रुपये में खरीदा गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि अगर राजकीय निर्माण निगम ने परियोजना में सजोदगी बरती होती तो बचत की जा सकती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) ने निर्माण एजेंसी

इस तरह बढ़ी कीमतें

मद	खर्च	वास्तविक दाम
लाइट	₹37.33 करोड़	₹19.32 करोड़
स्टील	68.10 रु/किग्रा	54.60 रु/किग्रा
बेड हेड पैनल	2 लाख रु/पैनल	40,415 रु/पैनल
एलिवेटर	₹13.35 करोड़	₹9.97 करोड़
सोलर पीवी सिस्टम	₹1.57 करोड़/सेट	₹40.15 लाख/सेट
मर्चुरी चैंबर	₹16.56 लाख/चैंबर	₹7.04 लाख/चैंबर



और आर्किटेक्ट को 19.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

जून 2013 में प्रदेश सरकार ने कैंसर इंस्टिट्यूट बनाने का फैसला किया था। तब इसकी लागत ₹854.51 करोड़ आंकी गई थी। यूपीआरएनएन को परियोजना पूरी

करनी थी। 2015 में शुरू हुई परियोजना अक्टूबर 2017 में पूरी करनी थी। शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी को टेंडर दिया गया। निर्माण एजेंसी को ₹796.76 करोड़ में परियोजना पूरी करनी थी। लेकिन मई 2020 में परियोजना की लागत रिवाइज

करके ₹805 करोड़ 28 लाख कर दी गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 तक निर्माण जारी था और यूपीआरएनएन ₹698.24 करोड़ खर्च कर चुका था। ऑडिट में पाया गया कि काफी सामान बिना बिड के मार्केट रेट पर खरीदे गए।

Name of the Newspaper	राष्ट्रीय सहारा
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	11

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में हुआ था घोटाला

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
लखनऊ।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण में सरकारी खजाने को चपत लगाया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सपा शासनकाल का यह मामला सामने आया है। कन्नौज में जमीन अधिग्रहण कर तत्कालीन अधिकारियों ने स्वीकृत दर से अधिक दरों पर कुल 3.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2020 तक की रिपोर्ट बधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई। इसमें उल्लेख किया गया है कि यूपीडा ने 17 जून 2014 को हुई 22वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जो भूमि अर्जित की जाएगी, उस संबंध में जिला स्तरीय समिति की दरों पर अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे।

यहां बताना जरूरी है कन्नौज की जिला स्तरीय समिति ने एक्सप्रेसवे-वे निर्माण के लिए कन्नौज के 50 गांवों की भूमि दर को अंतिम रूप दिया। सात जुलाई, 2014 को सीईओ ने उन दरों का अनुमोदन भी कर दिया। अभिलेखों की जांच के दौरान अगस्त,

विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई सीएजी रिपोर्ट से हुआ खुलासा

2019 में लेखा-परीक्षा ने पाया कि यूपीडा ने जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के दौरान सात गांवों की जमीन खरीदी। इसके लिए पूर्व में अनुमोदित दरों से अधिक दर पर 88 बैनामे इस आधार पर कर दिए गए कि ये भूमि सड़क के पास थी। पांच जनवरी, 2021 को डीएम

कन्नौज द्वारा यूपीडा के सीईओ को लिखे गए पत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि इन बैनामों में चौहद्दी में सड़क के अस्तित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए स्वीकृत दर से अधिक सर्किल रेट पर बैनामे किए गए। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए यूपीडा का अनुमोदन लिया जाना था, जो नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप यूपीडा ने भूस्वामियों को 3.65 करोड़ रुपये अतिरिक्त भूमि मूल्य का भुगतान कर दिया। लेखा-परीक्षा ने बैनामों की समीक्षा में पाया कि 88 में से 40 बैनामों में किसी सड़क का उल्लेख नहीं था और अर्जित भूमि भी केवल कृषि भूमि से घिरी हुई थी।

शेष 48 बैनामों में सड़क का उल्लेख था, लेकिन ये भी कृषि भूमि से घिरे हुए थे। इन 48 प्रकरणों में से किसी में भी एक्सप्रेसवे-वे में भूमि अर्जन के लिए अक्टूबर, 2013 में तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों में कोई पक्की सड़क नहीं दिखाई दी।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने सरकार से मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की अपेक्षा की है।

Name of the Newspaper	The Times of India
Date	22.09.2022
Edition	Lucknow
Page No.	05

CAG report shows fake payments by UP forest divisions

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The CAG report of 2020 has revealed that fraudulent payments were made against plantation work in UP.

"Forest divisions made fraudulent payment of Rs 1.37 crore involving 1,058 payment vouchers for various works by mentioning wrong registration numbers of vehicles through which works were claimed to be executed", said the report.

Payments to contractors for works or supply can be made only by the divisional officer or by an authorised subordinate officer and no payment should be made until the correctness of the claim, in respect of quantities and rates as well as the quality of work or supply and other necessary factors, has been accepted by the officer responsible.

A test check by audit (December 2020) of monthly vouchers of payment for various works for 2016-17 to 2018-19 in 20 forest divisions revealed that divisions had executed works of digging of pits and trenches, soil work, transportation of saplings, cow dung, brick works, watering of

plants and others for plantation and conservation purposes by using tractors and JCB excavators on contracts. The payment vouchers contain details of names of contractors to whom payment was made, registration number of tractors, JCBs and details of works executed.

Auditors verified the registration numbers of tractors and JCBs mentioned in the payment vouchers with the records of the transport department of the state. It was noticed that the registration numbers indicated in the vouchers, against which payments were made by the divisional forest officers, were registered as vehicles other than tractors and JCBs.

"Thus, the works for plantation and conservation purposes, claimed to have been done under vouchers with false registration number of tractors and JCBs, had actually never taken place and the payment of Rs 1.37 crore involved in 1,058 vouchers made to the contractors and individuals was prima facie fraudulent and the amounts claimed tantamount to embezzlement." The matter was reported (in December 2020 and March 2021) to the PCCE.

Name of the Newspaper	Times of India
Date	26.09.2022
Edition (H/E)	English
Page No.	05

THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW
MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022

UTTAR PRADESH

'UPRNN, UPSBCL caused ₹127cr loss

Found Wanting In Monitoring Of Works, Claiming GST Reimbursement

Shalabh@timesgroup.com

Lucknow: The comptroller and audit general (CAG) report released on Wednesday showed that UP Rajkiya Nirman Nigam (UPRNN) and UP State Bridge Corporation Limited (UPSBCL) caused a Rs 127 crore loss to the exchequer.

The team of accountants who examined the annual books of the two agencies of the public works department (PWD) unearthed losses amounting to Rs 85 crore (UPRNN) and Rs 42 crore (UPSBCL) while going through the expenditures made by the two agencies. The audit

Work started on the project in October 2015. However, the completion of the project got delayed beyond four years

was done during the 2019-2020 financial year and looked at the past dealings of the two agencies.

The conduct of the UPRNN was found wanting while supervising and monitoring the execution of the

CAG REPORT
The project was sanctioned in

June 2013 and a budget of Rs 854.51 crore was approved for it. In February 2015, the UP government awarded work to Shapoorji Pallonji construction company to execute the project at a cost of Rs 796.76 crore.

Work started in October 2015 and a timeline of five years was stipulated for the completion, which was fixed as October 22, 2017. However, the project got delayed beyond four years.

Though the agency had mentioned a clause to impose liquidated damages on the construction company, the consultant roped in for monitoring the progress of the pro-

ject and other stakeholders, UPRNN did not levy the stipulated charges. The agency also revised the cost upwards in May 2020 and accepted the proposal to inflate the budget by an additional Rs 76 crore due to change in quoted rates without obtaining competitive rates from the market.

Though UPRNN tried to justify the inflated cost of the items supplied by the vendors during its interaction with the auditors, it was not able to produce any bills to prove the construction company and vendors had purchased the items at higher than originally estimated rates.

Structural alterations to

establish the radiation oncology department were allowed without approval of the department. It was also found that the interest on mobilisation advance payable to the tune of Rs 14 crore was not credited to the government as per due procedure. Overall, an amount of Rs 127 crore could have been saved.

Similarly, it was found that the bridge corporation had failed to claim GST reimbursement of Rs 42 crore from national highways authority of India (NHAI) while accepting the payment of civil works of four-laning Haridwar-Dehradun national highway.